न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा संख्या ::— 40/2016

1. प्रवीण कुमार पिता सुरेन्द्रकुमार डांगी निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. राजेन्द्रकुमार पिता सुरेन्द्रकुमार डांगी निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. कैलाशबाई पुत्री उंकारसिंह जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. अमरसिंह पिता उंकारसिंह जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. मीनाकुमारी पिता उंकारसिंह जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
4. भंवरसिंह पिता उंकारसिंह जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
5. प्रिन्स पिता नरेश कुमार बाबेल(महाजन) निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
6. सीमा पिता मांगीलाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
7. कान्ता पत्नी मांगीलाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
8. रोहित पिता भगवतीलाल जी लोढा महाजन निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
9. दीपककुमार पिता रोशनसिह जी चौधरी महाजन निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
10. गोपालकरण पिता राधेश्याम जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ नाबालिग जरिये माता नन्दुबाई बेवा राधेश्या मजी दरोगा निवासी बेगूँ
11. कृष्णा पुत्री राधेश्या मजी दरोगा नाबालिग जरिये माता नन्दुबाई बेवा राधेश्याम जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
12. नन्दूबाई बेवा राधेश्याम जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
13. भंवरीबाई पुत्री हीरालाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
14. रामपालीबाई पुत्री हीरालाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
15. सुगनाबाई पुत्री हीरालाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
16. रूपाबाई पत्नी स्व0 हीरालाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
17. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री सुरेशचन्द्र टेलर
अधिवक्ता वादीगण
श्री हरिशचन्द्र शर्मा
श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक ::—20.08.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा कांसा का खेडा प0ह0 बेगूँ तह0 बेगूँ में निम्न कृषि आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी मे अंकित स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार से है :—

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
35	291	0.4290
	292	0.4050
	309	0.5260
	311	0.2180
	317	0.2030
	कीता—5 कुल रकबा	1.7810 हैक्टर

यह कि उक्त कलम संख्या एक मे वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी सं0 1 से 4 तक का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी सं0 6 व 7 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी सं0 8 व 9 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 10 से 16 तक का हिस्सा 1/3, निहित हिस्सा होकर अपने हिस्सें अनुसार की कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि करते आ रहे है।

यह कि उक्त वाद वर्णित कृषि आराजीयात का खाता में विधि अनुसार विभाजन नहीं होने के कारण आये दिन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी को लेकर विवाद होता रहता है। जिसके स्थाई समाधान हेतु यह वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है। वर्णित कृषि आराजीयात में

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में हिस्सा अनुसार एवं कब्जानुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कृषि आराजीयात का विभाजन करा खाता प्रथक प्रथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने बाबत यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण दिनांक 05.02.2016 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को आपसी सहमती से तहसील में चलकर आराजी का विभाजन करा खाता प्रथक प्रथक रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है। वादपत्र विभाजन कृषि आराजीयात का होने से भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूं को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न अनुतोष की डिक्री वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावे :—

(क) कि मौजा कांसा का खेडा प0ह0 बेगूं में स्थित वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 से 16 तक की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी सं0 1 से 4 तक का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी सं0 6 व 7 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी सं0 8 व 9 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 10 से 16 तक का हिस्सा 1/3अनुसार भूमि का मौके पर व खाता में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रदान करायी जावें।

(ख) कि बाद विभाजन वादीगण का खाता प्रथक प्रथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान करायी जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीण्गा हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

(घ) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादीगण को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिशचन्द्र शर्मा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जबकि प्रतिवादी संख्या 3, 11, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। शेष प्रतिवादीगण इस दावा पत्रावली में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये है। इस वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17, के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कि आदेश दिये गये। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3,11,14 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने से उनका जवाब दावा बन्द किया जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया।

दावा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वाद वर्णित आराजी ग्राम खासा का खेडा में होना स्वीकार है। उक्त वर्णित कृषि आराजी में हम प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 का हिस्सा 1/18 होना स्वीकार है, उक्त वर्णित कृषि आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीण्गा के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज रेकार्ड होकर अविभाजित आराजी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ है। हक हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाना न्यायसंगत है।

वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद वर्णित आराजी में हम प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 का 1/18 हक हिस्सा निहित है। वर्णित आराजीयात वर्तमान में संयुक्त खातेदारी से खाता में दर्ज रेकार्ड होकर वर्णित आराजीयात पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी संयुक्त रूप से काअिबज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वर्णित आराजीयात का मौखिक कभी बंटवाडा नहीं किया हैं। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण का 1/18 हक हिस्सा एवं वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीण्गा का उनके हक हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्रथक प्रथक अंकन किया जाना न्यायसंगत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादीण्गा एवं प्रतिवादीगण के नाम उनके हक हिस्से अनुसार विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान फरमावें।

इस दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के द्वारा जो जवाबदावा प्रस्तुत किया है वह वाद पत्र अनुसार विभाजन किया जाना स्वीकार किया है। फिर भी न्यायालय द्वारा नियमानुसार इस दावा पत्रावली में निम्न तनकीपत्र को पृथक से तेयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया है:—

1— आया कि मौजा कांसा का खेडा प0ह0 बेगूं में स्थित वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 से 16 तक की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादीगण हिस्सा 1/6, प्रतिवादी सं0 1 से 4 तक का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी सं0 6 व 7 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी सं0 8 व 9 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 10 से 16 तक का हिस्सा 1/3अनुसार भूमि का मौके पर व खाता में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति प्राप्त कर पाने के वादीगण अधिकारी है? साथ ही वाद विभाजन
दीगण का खाता पृथक पृथक दर्ज करा पाने के अधिकारी भी वादीगण है?
वादीगण

2– आया कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात में हम प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 का 1/18 हक हिस्सा निहित है वर्णित आराजयीात वर्तमान मे संयुक्त खातेदारी से खाता में दर्ज रेकार्ड होकर वर्णित आराजीयात पर वादीण्गा एवं प्रतिवादीगण सभी संयुक्त रूप से काबिज है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वर्णित आराजीयात का मौखिक कभी बंटवाडा नहीं किया गया है, न्यायहित में उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण का 1/18 हक हिस्सा अनुसार है, न्यायहित में उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण का 1/18 हक हिस्सा अनुसार विभाजन करा राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक अंन करा पाने के प्रतिवादीगण अधिकारी है?

3– अनुतोष ?

प्रतिवादीगण 8, 9

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी राजेन्द्रकुमार पिता सुरेन्द्र कुमार जी डांगी के एवं प्रवीणकुमार पिता सुरेन्द्र कुमार जी डांगी के प्रस्तुत किये गये। मुख्य परीक्षण में वादी प्रवीण कुमार के बयान कलमबद्ध कराये गये जिन्होने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा पत्रावली में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा मामला हो जाने से जिरह प्रतिवादीगण की ओर से निल रही है। इस प्रकार वादी के बयान कलमबद्ध करा साक्ष्य वादीगण की पूर्ण की गई। पत्रावली में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। पत्रावली में मामला प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा होने जाने के पश्चात दावा पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। जिन्होने अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार करते हुए व नकल जमाबंदी में अंकित वादीगण के हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मिण्ड्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया गया।

अधिवक्ता वादीगण की एक तरफा बहस को सुना जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा खांसा का खेडा पटवार हल्का बेगूँ की सम्वत 2069 से 72 तक का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि वाद वर्णित कृषि आराजी संख्या 291, 292, 309, 311, 317 कीता–5 कुल रकबा 1.7810 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री कैलाशबाई पति स्व. उँकारसिंह अमर सिंह बालिग मीनाकुमारी भंवरसिंह ना.ब.स.प.माता खुद पिता उँकार सिंह सोनू दीपक सीमा पिता मांगीलाल सानू दीपक सीमा ना.ब.माता कान्ताबाई पत्नी स्व. मांगीलाल देउबाई पिता लक्ष्मन दरोगा , हीरालाल पिता काना दरोगा हि.ब. श्रीमती सुनिता देवी पत्नी नरेश कुमार बाबेल (महाजन) सा. बेगूँ खातेदार ना.सं. 447 दर्ज अंकित होकर जमाबंदी मे नोट अंकित किया है कि ना.सं. 499 निण्रय दिनांक 12.08.2014 बेचान से श्री सुनीता देवी पति नरेश कुमार के बजाय श्री प्रवीकुमार राजेन्द्र कुमार पिता सुरेन्द्रकुमार डांगी निवासी बेगूँ के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार नोट अंकित है कि ना.सं. 508 निर्णय दिनांक 23.12.2014 बेचान से हिस्सा देउबाई पिता लक्ष्मण के बजाय श्री रोहित पिता भगवतीलाल लोढा दीपक कुमार पिता रोशनसिंह चौधरी निवासी बेगूँ के नाम दर्ज हुआ शेष खातेदार बदस्तूर। नामान्तरण संख्या 513 निर्णय दिनांक 24.03.2015 बेचान से बिकाव से सोनू दीपक के बजाय श्री प्रिन्स पिता नरेश कुमार बाबेल सा. बेगूँ खातेदार के नाम दर्ज हुआ। नामान्तरण संख्या 505 निर्णय दिनांक 17.11.2014 विरासत से हीरा पिता काना के बजाय गोपाल करण कृष्णा पिता राधेश्याम गोपा करण कृष्णा ना.बा.स.प. माता नन्दूबाई, नन्दूबाई सुगनाबाई पुत्री हीरा रूपाबाई पत्नि स्व.हीरा के नाम दर्ज हुआ। जमाबंदी का अवलोकन किये जाने के पश्चात प्रस्तुत नक्शाट्रेस का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

पत्रावली में समस्त दस्तावेज का अवलोकन किये जाने के पश्चात पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्नप्रकार से तनकी वार किया जाता है।

1– <u>तनकी नं0 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादी द्वारा वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण हिस्सा 1/6, प्रतिवादी सं0 1 से 4 तक का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी सं0 6 व 7 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी सं0 8 व 9 का हिस्सा 1/18, प्रतिवादी संख्या 10 से 16 तक का हिस्सा 1/3अनुसार भूमि का मौके पर व खाता में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है, पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा खांसा का खेडा पटवार हल्का बेगूँ की सम्वत 2069 से 72 तक का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि वाद वर्णित कृषि आराजी संख्या 291, 292, 309, 311, 317 कीता–5 कुल रकबा 1.7810 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री कैलाशबाई पति स्व. उँकारसिंह अमर सिंह बालिग मीनाकुमारी भंवरसिंह ना.ब.स.प.माता खुद पिता उँकार सिंह सोनू

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

...का सीमा पिता मांगीलाल सानू दीपक सीमा ना.ब.माता कान्ताबाई पत्नी स्व. मांगीलाल देउबाई ...ा लक्ष्मन दरोगा , हीरालाल पिता काना दरोगा हि.ब. श्रीमती सुनिता देवी पत्नी नरेश कुमार ...बिल (महाजन) सा. बेगूं खातेदार ना.सं. 447 दर्ज अंकित होकर जमाबंदी मे नोट अंकित किया है कि ना.सं 499 निणय दिनांक 12.08.2014 बेचान से श्री सुनीता देवी पति नरेश कुमार के बजाय श्री प्रवीकुमार राजेन्द्र कुमार पिता सुरेन्द्रकुमार डांगी निवासी बेगूं के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार नोट अंकित है कि ना.सं. 508 निर्णय दिनांक 23.12.2014 बेचान से हिस्सा देउबाई पिता लक्ष्मण के बजाय श्री रोहित पिता भगवतीलाल लोढा दीपक कुमार पिता रोशनसिंह चौधरी निवासी बेगूं के नाम दर्ज हुआ शेष खातेदार बदस्तूर। नामान्तरण संख्या 613 निर्णय दिनांक 24.03.2015 बेचान से बिकाव से सोनू दीपक के बजाय श्री प्रिन्स पिता नरेश कुमार बाबेल सा. बेगूं खातेदार के नाम दर्ज हुआ। नामान्तरण संख्या 606 निर्णय दिनांक 17.11.2014 विरासत से हीरा पिता काना के बजाय गोपाल करण कृष्णा पिता राधेश्याम गोपा करण कृष्णा ना.बा.स.प. माता नन्दूबाई, नन्दूबाई सुगनाबाई पुत्री हीरा रूपाबाई पत्नि स्व.हीरा के नाम दर्ज होने का अंकन है तथा प्रदर्श– 1 नकल नक्शाट्रेस प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा यह वादपत्र केवल वर्णित कृषि आराजीयात में अपना हिस्सा 1/6 होने का कथन किया है, लेकिन नकल जमाबंदी अनुसार वादीगण द्वारा यह भूमि जरिये ना.सं. 499 निणय दिनांक 12.08.2014 बेचान से श्री सुनीता देवी पति नरेश कुमार के बजाय श्री प्रवीकुमार राजेन्द्र कुमार पिता सुरेन्द्रकुमार डांगी निवासी बेगूं के नाम दर्ज होने से अपने हिस्से का विभाजन चाहा गया है, लेकिन जमाबंदी में पूर्व के केता सुनिता देवी पति नरेश कुमार का भी कितना हिस्सा कृषि भूमि में था अंकित नहीं है तथा ना ही वादीगण का हिस्सा जमाबंदी में अंकित है साथ ही सभी प्रतिवादीगण का कितना कितना हिस्सा दर्ज है जमाबंदी में अंकित नहीं है, जबकि वादीगण को अपना हिस्सो 1/6 किस प्रकार आराजी में बनता है इसके लिए नियमानुसार उनके हिस्से की घोषणा कराते हुए अपने हिस्से का विभाजन कराया जाना चाहिए था, वादीगण द्वारा वर्तमान जमाबंदी भी प्रस्तुत नहीं की गई साथ ही ना ही कयशुदा पंजीकृत विकयपत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसमें यदि हिस्से अंकित भी होते तो न्यायालय द्वारा उनके हिस्से की दाद दी जाकर भूमि का विभाजन किया जाता लेकिन जमाबंदी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा अंकित नहीं होने एवं वादीगण द्वारा अपना हिस्सा वर्णित कृषि आराजी में किस प्रकार 1/6 है के सम्बन्ध में कोई घोषणा भी नहीं चाही है। ऐसी स्थिती में वादीगण का हिस्सा वर्णित कृषि आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/6 स्पष्ट नहीं होने से यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2– <u>तनकी नम्बर 2 का निर्णयः–</u>

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है, लेकिन प्रतिवादीगण के विरूद्ध मामला एकतरफा का होने तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर अपने जवाव का सिद्ध कराने में पूर्णतया असफलता प्राप्त की है, लेकिन पत्रावली में तनकी नम्बर 1 जो कि वादीगण के जिम्मे थी को वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है क्यो कि नकल जमावंदी में वादीगण व प्रतिवादीगण का वर्णित कृषि भूमि में कितना कितना हिस्सा है को सिद्ध नहीं करा सके है, ना ही प्रतिवादीगण अपने हिस्से की घोषणा करा पाने में सफल रहे है जिससे यह तनकी संख्या 2 भी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि मौजा खांसा का खेडा पटवार हल्का बेगूं की सम्वत 2069 से 72 तक का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि वाद वर्णित कृषि आराजी संख्या 291, 292, 309, 311, 317 कीता–5 कुल रकवा 1.7810 हैक्टर भूमि मे वादीगण का कितना हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा कितना है के सम्बन्ध में कोई धोषणा वाद पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं हिस्सा किस प्रकार वादीगण का 1/6 बनता है को भी वादीगण स्पष्ट नहीं कराने में असफल रहे है, जिससे दस्तावेजी साक्ष्य सवूत के आधार पर वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादीगण द्वारा उनका हिस्सा स्पष्ट नहीं करा पाने से तथा वादीगण के हिस्से बावत कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाने से वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या :- 40 / 2016

1. प्रवीण कुमार पिता सुरेन्द्रकुमार डांगी निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. राजेन्द्रकुमार पिता सुरेन्द्रकुमार डांगी निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. कैलाशबाई पुत्री उंकारसिंह जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
2. अमरसिंह पिता उंकारसिंह जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
3. मीनाकुमारी पिता उंकारसिंह जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
4. भंवरसिंह पिता उंकारसिंह जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
5. प्रिन्स पिता नरेश कुमार बावेल(महाजन) निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
6. सीमा पिता मांगीलाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
7. कान्ता पत्नी मांगीलाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
8. रोहित पिता भगवतीलाल जी लोढा महाजन निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
9. दीपककुमार पिता रोशनसिह जी चौधरी महाजन निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
10. गोपालकरण पिता राधेश्याम जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ नाबालिग जरिये माता नन्दुबाई बेवा राधेश्या मजी दरोगा निवासी बेगूँ
11. कृष्णा पुत्री राधेश्या मजी दरोगा नाबालिग जरिये माता नन्दुबाई बेवा राधेश्याम जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
12. नन्दूबाई बेवा राधेश्याम जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
13. भंवरीबाई पुत्री हीरालाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
14. रामपालीबाई पुत्री हीरालाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
15. सुगनाबाई पुत्री हीरालाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
16. रूपाबाई पत्नी स्व0 हीरालाल जी दरोगा निवासी बेगूँ तह0 बेगूँ
17. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ

प्रतिवादीगण ,

निर्णय वाद अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र टेलर की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 20.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है। 53 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है।

अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादीगण द्वारा उनका हिस्सा स्पष्ट नहीं करा पाने से तथा वादीगण के हिस्से बाबत कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाने से वादीगण का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 20.08.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ